न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 42/2020 (जी.सी.एम.एस. 2020/00117)

प्रार्थिया	बनाम अप्रार्थीगण
1. सन्तो पत्नी बर्मा सिंह जाति बावरी निवासी 3 एफ एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर।	1. गुरबचन सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति बावरी निवासी 3 एफ एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 2. गरीब दास पुत्र भगवान सिंह जाति बावरी निवासी 3 एफ एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 3. प्रेम सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति बावरी निवासी 3 एफ एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 4. पूर्ण सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति बावरी निवासी 3 एफ एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 29.07.2020

उपस्थित: 1.श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थिया
2.श्री सतीश कुमार अरोडा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 4

--निर्णय-- दिनांक: 18.07.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 3 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 56/59 के मुरब्बा नम्बर 55 की कुल 6.325 हेक्टैयर नहरी भूमि अनोख सिंह पुत्र नानक सिंह जाति बावरी के नाम गैरखातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अनोख सिंह की मृत्यू हो चुकी है। मृतक अनोख सिंह प्रार्थिया का ससूर है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का दादा है। मृतक अनोख सिंह के चार पुत्र थे, प्रार्थिया का पति बर्मा सिंह, बिशन सिंह, लाल सिंह तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का पिता भगवान सिंह थे। मृतक अनोख सिंह की पत्नी व चारों पुत्रों की मृत्यू हो चुकी हैं। उनकी मृत्यू के पश्चात उक्त कृषि भूमि उनके वारिसान प्राप्त करने के अधिकारी है। मृतक अनोख सिंह के समस्त वारिसानों के द्वारा आज से 30 वर्ष पूर्व उक्त भूमि का घरू बंटवारा कर रखा है और बंटवारा के मुताबिक सभी वारिसान अपने-अपने हिस्सा पर कब्जा काश्त है। घरू बंटवारा में प्रार्थिया को मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 3, 8 सालम-सालम, किला नम्बर 13 के 10 बिस्वा भूमि कुल 2 बीघा 10 बिस्वा हिस्सा में प्राप्त हुई है। घरू बंटवारा यानि 30 वर्षो से प्रार्थिया अपने हिस्सा की भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में मृतक अनोख सिंह के नाम गैरखातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 प्रार्थिया को उसके हिस्सा से महरूम करना चाहते है। प्रार्थिया के हिस्सा को खुर्द बुर्द करना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 प्रार्थिया को इस आशय की धमकी दे रहे है कि हमने अनोख सिंह से उक्त सारे रकबा की वसीयत अपने नाम करवा रखी है। उक्त भूमि को जरिए वसीयत अपने नाम करवा लेगें और तुम्हे कोई भूमि नही देगें हम इस भूमि का बेचान अन्यत्र करके तुम्हे तुम्हारे हिस्सा से महरूम कर देगे, यदि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 अपने मकसद में [illegible] प्रार्थिया अपनी हिस्सा व कब्जा की भूमि से महरूम हो जायेगी, जिससे प्रार्थिया को न[illegible] वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति की जानी किसी भी प्रकार से [illegible] प्रार्थिया अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा रोक पाने की अधिकारी है। आज से [illegible] रोज पूर्व प्रार्थिया, अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 से मिली और उनके [illegible] हम [illegible] तुम्हारे हिस्सा की भूमि नहीं देगें [illegible] तुम्हारे हिस्सा की भूमि अन्यत्र बेचान करके खुर्द-बुर्द [illegible]गें। प्रथम दृष्टया मामला, सु[illegible] का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थिया के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण मूलवाद के निस्तारण तक चक 3 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:15:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

संख्या 74/74 के मुरब्बा नम्बर 55 किला नम्बर 3, 8 सालम-सालम, किला नम्बर 13 के 10 बिस्वा भूमि कुल 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि को किसी भी प्रकार से बेच, रहन, वसीयत या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहे तथा प्रार्थिया के कब्जा काश्त में स्वंय दखल अंदाजी करने या किसी अन्य से करवाने से बाज व ममनू रहे तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के दादा अनोख सिंह को पुर्नवास विभाग(सेटलमेन्ट विभाग) भारत सरकार द्वारा आवंटित की गई थी, जो तीनों के आधार पर अनोख सिंह स्वंय, पत्नी भामो, भगवान दास व लाल सिंह पुत्रों के नाम अलॉट हुई थी। जिसकी किश्ते भी अप्रार्थीगण जमा करवाते आ रहे है। यह कथन गलत है कि मृतक अनोख सिह प्रार्थिया का ससुर है। जबकि सच्चता यह है कि प्रार्थिया का पति मृतक अनोख सिंह का पुत्र नहीं था। इसलिए प्रार्थिया हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थिया जो मृतक अनोख सिंह के भाई सुन्दर सिंह की पुत्रवधु है। सुन्दर सिंह के दो लड़के बिशन सिंह, बर्मा सिंह है। सुन्दर सिंह का देहान्त हो चुका है। प्रार्थिया अपने पति बर्मा सिंह को अनोख सिंह का पुत्र बताकर भूमि प्राप्त करना चाहती है। प्रार्थिया अनोख सिंह का वारिस होना, 30 वर्षों से घरू बंटवारा होना, अपने हिस्सा की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर काबिज होना कतई गलत है। प्रार्थिया मृतक अनोख सिंह की वारिस नहीं होने से उसकी सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थिया का कभी भी कब्जा नहीं रहा, आज तक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 अनोख से जीवनकाल में उसके साथ रहकर एंव उसकी मृत्यु के पश्चात आज तक 40 वर्षों से लगातार काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि मृतक अनोख सिंह की स्वअर्जित भूमि थी। मृतक अनोख सिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त विवादित भूमि की वसीयत दिनांक 29.01.1980 को अपनी स्वेच्छा से अपने पोतों अप्रार्थीगण व पुत्र लाल सिंह व भाई सुन्दर सिंह के पुत्र बिशन सिंह के नाम की। जो वसीयत उसी रोज सब रजिस्ट्रार श्रीकरणपुर के समक्ष उपस्थित होकर तस्दीक करवाई गई है जो वसीयत वैध व सही है। मुताबिक वसीयत भी प्रार्थिया उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थिया मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना। उस पर मनन किया, गौर किया। प्रार्थना पत्र एंव संलग्न दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना पत्र एंव संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन कर हम प्रकरण को निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर निर्णीत करना विधिसंगत समझते है:-

<u>1.प्रथम दृष्टया मामला</u>:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार है। प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि चक 3 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 56/59 के मुरब्बा नम्बर 55 की कुल 6.325 हेक्टेयर नहरी भूमि अनोख सिंह पुत्र नानक सिंह जाति बावरी के [illegible] दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अनोख सिंह की मृत्यु हो चुकी है। मृतक अनोख [illegible] ससुर है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का दादा है। मृतक [illegible] के चार [illegible] प्रार्थिया का पति बर्मा सिंह, बिशन सिंह, लाल सिंह तथा [illegible] थे। मृतक अनोख सिंह की पत्नी व चारों पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है [illegible] की मृत्यु के पश्चात उक्त कृषि भूमि उनके वारिसान प्राप्त करने के अधिकारी है। घरू बंटवारा यानि 30 वर्षों से प्रार्थिया अपने हिस्सा की भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 प्रार्थिया को उसके हिस्सा से महरूम करना चाहते है। प्रार्थिया के हिस्सा को खुर्द बुर्द करना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 प्रार्थिया को इस आशय की धमकी दे रहे है कि हमने अनोख सिंह से उक्त सारे रकबा की वसीयत अपने नाम करवा रखी है। उक्त भूमि को जरिए वसीयत

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:15:55 IST
Reason: SelfAttested

अपने नाम करवा लेगें और तुम्हे कोई भूमि नही देगें हम इस भूमि का बेचान अन्यत्र करके तुम्हे तुम्हारे हिस्सा से महरूम कर देंगे, यदि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थिया अपनी हिस्सा व कब्जा की भूमि से महरूम हो जायेगी, जिससे प्रार्थिया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति की जानी किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। इसलिए प्रार्थिया अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा रोक पाने की अधिकारी है।

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा कथन किये गये कि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के दादा अनोख सिंह को पर्नुवास विभाग(सेटलमेन्ट विभाग) भारत सरकार द्वारा आवंटित की गई थी, जो जीवों के आधार पर अनोख सिंह स्वंय, पत्नी शामो, भगवान दास व लाल सिंह पुत्रों के नाम अलॉट हुई थी। जिसकी किश्ते भी अप्रार्थीगण जमा करवाते आ रहे है। मृतक अनोख सिह प्रार्थिया का ससुर नहीं था। जबकि सत्यता यह है कि प्रार्थिया का पति मृतक अनोख सिंह का पुत्र नहीं था। इसलिए प्रार्थिया उक्त भूमि में से हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थिया जो मृतक अनोख सिंह के भाई सुन्दर सिंह की पुत्रवधु है। सुन्दर सिंह के दो लडके बिशन सिंह, बर्मा सिंह है। सुन्दर सिंह का देहान्त हो चुका है। प्रार्थिया अपने पति बर्मा सिंह को अनोख सिंह का पुत्र बताकर भूमि प्राप्त करना चाहती है। उक्त भूमि मृतक अनोख सिंह की स्वअर्जित भूमि थी। मृतक अनोख सिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त विवादित भूमि की वसीयत दिनांक 29.01.1980 को अपनी स्वेच्छा से अपने पोतों अप्रार्थीगण व पुत्र लाल सिंह व भाई सुन्दर सिंह के पुत्र बिशन सिंह के नाम की। जो वसीयत उसी रोज सब रजिस्ट्रार श्रीकरणपुर के समक्ष उपस्थित होकर तसदीक करवाई गई है जो वसीयत वैध व सही है। मुताबिक वसीयत भी प्रार्थिया उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थिया ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो चलने योग्य नहीं हैं। जिसे खारिज फरमाया जावे।

लिहाजा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात के अनुसार वादग्रस्त भूमि मृतक अनोख सिंह की स्वअर्जित भूमि थी। जिसे अनोख सिंह के द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 29.01.1980 को जरिए पंजीकृत वसीयत से अप्राथीगण गुरबचन सिंह, गरीब दास, प्रेम सिंह, पूर्ण सिंह व अपने पुत्र लाल सिंह तथा भाई सुन्दर सिंह के पुत्र बिशन सिंह के नाम की है। प्रार्थिया मृतक अनोख सिंह के भाई सुन्दर सिंह की पुत्रवधु है। मृतक अनोख सिंह प्रार्थिया का ससुर नहीं है। प्रार्थिया अपने पति बर्मा सिंह को अनोख सिंह का पुत्र बताकर भूमि प्राप्त करना चाहती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2.सुविधा का संतुलन:- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नही दिया तो प्रार्थिया/वादी को अधिकतम असुविधा होगी। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रही है। वादग्रस्त भूमि मृतक अनोख सिंह की स्वअर्जित भूमि थी। जिसे पंजीकृत वसीयत से अप्राथीगण व पुत्र लाल सिंह तथा भाई सुन्दर सिंह के पुत्र बिशन सिंह के नाम की है। लिहाजा प्राथिया सुविधा के संतुलन को भी अपने पक्ष में साबित करने पूर्णतया असफल रही है।

3.अपूरणीय क्षति:- चूंकि पूर्व विवेचित दोनो बिन्दु यथा [illegible] मामला तथा सुविधा का संतुलन दोनों बिन्दु प्राथिया अपने [illegible] असफल रही है। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में अस्था[illegible] अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपूरणीय क्षति [illegible] के पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्राथिया अपने पक्ष में साबित करने मे पूर्णतया असफल रही है। लिहाजा हम प्रार्थना पत्र प्राथिया को स्वीकार किया जाना विधिसंगत नही समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:15:55 IST
Reason: SelfAttested

सन्तो बनाम गुरबचन सिंह आदि
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए
प्रकरण संख्या 42/2020

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इंजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:15:55 IST
Reason: SelfAttested